न्यायालय सहायक कलक्टर (एस०डी०ओ०) जायल जिला नागौर
मईजलास श्री सुरेश कुमार प्रथम आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या– 20/2018

1. हरलाल पुत्र नाथूराम, जाति जाट,
   निवासी डिडिया कल्लां तहसील जायल, जिला नागौर

...............वादी

बनाम

1. नाथूराम पुत्र भागीरथराम, जाति जाट,
   निवासी डिडिया कल्लां, तहसील जायल, जिला नागौर
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

.... प्रतिवादीगण

वाद वास्ते घोषणा खातेदारी व विभाजन,
अधीन धारा 88 व 53 राज. टिनेन्सी एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता– 1. वादी की ओर से जीयाराम गोदारा, एडवोकेट
2. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री शिवकुमार पाराशर एडवोकेट
3. प्रतिवादी संख्या 2 के ईकतरफा कार्यवाही है।

:: निर्णय ::

दिनांक –28.08.2019

वादी के वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आपस में पिता पुत्र है प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता है। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी भूमियां मौजा डिडिया

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner

कल्लां तहसील जायल मे खसरा नं 140 रकबा 7.04 बीघा, खसरा नं. 214 रकबा 9.12 बीघा, खसरा नं. 736 रकबा 8.11 बीघा, कुल रकबा 25.07 बीघा आई हुई है। जिसमे वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर बराबर हिस्सा है। लेकिन कर्ता खानदान होने से राजकीय रेकर्ड मे अकेले प्रतिवादी संख्या 1 का नाम आ गया है। इसलिए यह दावा वास्ते घोषणा खातेदारी के लिए पेश है। इसके अलावा नाथूराम प्रतिवादी के कोई और संतान नही है। अब वर्ष 2065 में पक्षकारान ने घरेलू तौर पर अपनी भूमियों का मोखिक विभाजन कर लिया है जिसके अनुसार वादी हरलाल के बंट मे मौजा डिडिया कल्लां के खेत खसरा नं. 140 रकबा 7.04 बीघा, खसरा नं. 214 रकबा 9.12 बीघा, खसरा नं. 736 रकबा 8.11 बीघा रखे है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 नाथूराम के बंट में कोई खेत नही रखा है क्योकि वह लम्बे समय से बीमार है तथा वृद्ध है और खेती करने मे असमर्थ है। लेकिन इसके बाद भी इस विभाजन का अमल दरामद राजकीय रेकर्ड मे नही हुआ है इसलिए यह दावा वास्ते विभाजन के लिए पेश किया जा रहा है तथा राज्य सरकार ऐसे दावों में आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार जायल को भी पक्षकार बनाया है।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 नाथूराम की और से श्री शिवकुमार पाराशर अधिवक्ता ने वकालत नामा मय ईकबाली जवाब दावा पेश कर वाद से सहमति जताई तथा प्रतिवादी संख्या 2 के बावजूद तामील गैर हाजिर रहने से उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में शपथ पत्र वादी हरलाल तथा प्रतिवादी नाथूराम के पेश किये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल खतौनी संवत 2068 से 2071 प्रदर्श 1 पेश की गई। तथा साथ ही ग्राम पंचायत डिडिया कलां का प्रमाण पत्र भी पेश कर वकील वादी ने साक्ष्य बंद की।

बहस वकील वादी की ईकतरफा सुनी गई। जिन्होने वाद पत्र में किये गये कथनो को दोहराया तथा वाद के अनुसार डिकी करने का निवेदन किया। मैने वादी द्वारा किये गये अभिकथनो तथा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया। इस प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या वादग्रस्त भूमियां पक्षकारों की पुश्तैनी होकर सह खातेदारी की है। तथा क्या वादी इसमे सह खातेदार होकर विभाजन करवाने का हकदार है। तथा क्या पक्षकारों ने घरेलू तौर पर इन खेतों का विभाजन कर लिया है तथा उसी अनुसार डिकी प्राप्त करने के अधिकारी है। जबकि किसी पक्षकार ने वाद का विरोध नही किया है। अत मेरी राय में वादी अपने को साबित करने मे पूर्णतया सफल रहा है। अत वाद वादी स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

1. कि यह घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त भूमि मौजा डिडिया कल्लां तहसील जायल में खसरा नं. 140 रकबा 7.04 बीघा, खसरा नं. 214 रकबा 9.12 बीघा, खसरा नं. 736 रकबा 8.11 बीघा, कुल रकबा 25.07 बीघा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की है।
2. कि इसका विभाजन पक्षकारों के बीच करते हुऐ वादी हरलाल के बंट व कब्जा कास्त में मौजा डिडिया कल्लां के खेत खसरा नं. 140 रकबा 7.04 बीघा, खसरा नं. 214 रकबा 9.12 बीघा, खसरा नं. 736 रकबा 8.11 बीघा घोषित किये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
जिला नागौर

Scanned by CamScanner

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेश कुमार प्रथम)
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जायल।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार प्रथम)
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जायल।

Scanned by CamScanner